न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 90/18 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस सख्या :– 2018/00172

उनवान

1. नरेन्द्र पुत्र सोहनलाल
2. जीतेन्द्र पुत्र सोहनलाल
3. अनिता वेवा लक्ष्मीनारायन पुत्र सोहनलाल
4. मोहन पुत्र लक्ष्मीनारायन
5. योगेश पुत्र लक्ष्मीनारायन
6. गौरी पुत्री लक्ष्मीनारायन

नाबालिग सरपरस्ती माता अनिता वेवा लक्ष्मीनारायन।

समस्त जातिगण ब्राहम्ण, निवासीयान खेरापति मौहल्ला, होलकेश्वर महादेव के सामने भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. दिनेश चन्द पुत्र मोतीलाल
2. उमेश उर्फ ओमी पुत्र मोतीलाल
3. अनिल उर्फ अन्नू पुत्र मोतीलाल

जाति ब्राहम्ण निवासी अनाह गेट बजरिया भरतपुर।

4. रजत उम्र 12 साल पुत्र लोकेश दत्त, नाबालिग वविलायत व रिफाकत माता स्वयं रेखा पत्नि लोकेश दत्त जाति ब्राहम्ण निवासी पैट्रोल पम्प के पीछे हीरादास इन्दिरा नगर भरतपुर।
5. रेखा वेवा लोकेशदत्त
6. भगवती पत्नि सतीश
7. जीतू पत्नि देवकीनन्दर

अकवाम ब्राहम्ण निवासी पैट्रोल पम्प के पीछे हीरादास इन्दिरा नगर भरतपुर।

8. नीतू पत्नि सुनील जाति ब्राहम्ण निवासी तालफरा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
9. लक्ष्मी पत्नि लक्ष्मीकान्त जाति ब्राहम्ण निवासी लक्ष्मीनगर जयपुर।
10. रमेशचन्द पुत्र राधारमन
11. राजू पुत्र राधारमन
12. कलावती वेवा राधारमन

अकवाम ब्राहम्ण नि0 खेरापति मौहल्ला होलकेश्वर महादेव के सामने भरतपुर।

13. अनिल पुत्र राधारमन जाति ब्राहम्ण निवासी किशोरीश्याम के सामने नीमदा गेट, भरतपुर।
14. राजस्थान सरकार तामील जरिये कलक्टर भरतपुर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर दि0 12.06.2018 मि.नं. 20/13 उनवानी नरेन्द्र बनाम दिनेशचन्द।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री हरीदत्त शर्मा उपस्थित।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक–10.01.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम खौखर पटवार हल्का दयोपुरा वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त पुश्तैनी आराजी है एवं वादी व प्रतिवादीगण राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार विवादित आराजीयात पर मनवट के आधार पर काबिज काश्त हैं। परन्तु विवादित आराजी का अभी बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन नहीं हुआ है। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य फसल को लेकर आये दिन झगडा हो जाता है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। रैस्पो0 बाबजूंद सूचना अनुपस्थित रहें। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिले खारिजी है। यह है कि प्रकरण में दिनांक 30.05.2017 को आगामी पेशी दिनांक 05.09.2017 साक्ष्य वादी के लिये लगी हुयी थी। उस पेशी दिनांक को वादी अपीलाण्ट की ओर से शपथ पत्र बतौर गवाह पेश कर दिया गया था एवं अग्रिम पेशी दिनांक 31.10.2017 नियत की गयी। तत्पश्चात् पेशी दिनांक 31.10.2017 को पीठासीन अधिकारी अन्य राजकार्य में व्यस्त होने के कारण अग्रिम पेशी दिनांक 21.05.2018 नियत की गयी एवं दिनांक 21.05.2018 को कोई आदेशिका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं लिखी गयी। दिनांक 21.05.2018 के बाद सीधे ही

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

दिनांक 12.06.2018 को प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। उक्त पेशी बाबत् अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट अथवा उनके अभिभाषक को कोई सूचना अथवा नोटिस जारी नहीं किया गया। विधि अनुसार राजस्व लोक अदालत में प्रकरण उभयपक्ष की सहमति के आधार पर ही निर्णित किये जा सकते हैं। परन्तु हस्तगत प्रकरण में ना तो पक्षकारो की सहमति ही बनी एवं ना ही उन्हें राजस्व लोक अदालत के लिये कोई नोटिस ही दिया गया। प्रकरण में यदि आवश्यक पक्षकार ना भी जुडे हो तो भी दावा को खारिज नहीं किया जा सकता। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर सीसीसी 2003(1) पेज 623, 2021(2) पेज 615, 2003(3) पेज 557, आरआरडी 2013 पेज 231 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में पेशी दिनांक 30.05.2017 को आगामी पेशी दिनांक 05.09.2017 वास्ते साक्ष्य वादी के लिये लगायी गयी। उक्त पेशी को वादी अपीलाण्ट की ओर से शपथ पत्र बतौर गवाह पेश किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली वास्ते जिरह अभिभाषक प्रतिवादी रैस्पो० अग्रिम पेशी दिनांक 31.10.2017 नियत की गयी। तत्पश्चात् पेशी दिनांक 31.10.2017 एवं 09.01.2018 को पीठासीन अधिकारी अन्य राजकार्य में व्यस्त होने के कारण अग्रिम पेशी दिनांक 21.05.2018 नियत की गयी। परन्तु दिनांक 21.05.2018 को कोई आदेशिका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं लिखी गयी एवं प्रकरण सीधे दिनांक 12.06.2018 को राजस्व लोक अदालत में रखकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। जबकि प्रकरण वास्ते जिरह में विचाराधीन था। अधीनस्थ न्यायालय ने ना तो प्रकरण में जिरह ही करवाई ना ही किसी पक्षकार को कोई साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर दिया। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई तामील शुदा नोटिस/सम्मन भी उपलब्ध नहीं है। जिससे साबित हो सके कि प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखने हेतु पक्षकारो को सूचित किया गया हो। हम यहॉ यह भी उल्लेख करना उचित समझते हैं कि राजस्थान सरकार के स्पष्ट निर्देश थे कि राजस्व लोक अदालत में पक्षकारान की उपस्थिति एवं सहमति से प्रकरण निस्तारण किये जावेंगें। परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान द्वारा सहमति/राजीनामा दिये जाने बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय राजस्व लोक अदालत की हडबडी में बिना न्यायिक प्रक्रिया पालन किये जल्दबाजी में पारित किया है। जहॉ तक अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में यह माना है कि वादी अपीलाण्ट ने मृतक राधारमन की पुत्रियों को पक्षकार मुकदमा नहीं जोडा है बाबत् वादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर हस्तगत प्रकरण में पूर्ण चस्पा होती हैं। आरआरडी 14.04.2013 पेज 231 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि " No suit can be rejected on the ground of non -joinder or mis - joinder of the parties according to Order 1, Rule 9 CPC" लिहाजा उपरोक्त तथ्यो की पृष्ठभूमि में हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.06.2018 अपास्त किये जाते हैं एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त तथ्यो की पृष्ठभूमि में उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित की जाती है। उभयपक्ष को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में वास्ते सुनवाई दिनांक 12.02.2024 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 10.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10.01.2024

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर